के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जिले के बलछा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। पंडित दीनदयाल के मंडल रेल प्रबंधक राजेश गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

रेरा के आदेशों का पालन नहीं करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

निबंधन की अवधि विशेष परिस्थितियों में ही बढ़ेगी : विवेक

सिटी रिपोर्टर | पटना

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के आदेशों का पालन नहीं करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे प्रमोटर जिनके प्रोजेक्ट का निबंधन 30 सितंबर तक समाप्त होने वाला है, उनके लिए आयोजित कार्यशाला में रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि इसमें जुर्माना लगाना, चल-अचल संपत्ति को जब्त करना और यदि आवश्यक हो तो गिरफ्तार करना शामिल है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण परियोजना को समय पर पूरा करने के पक्ष में है। कार्यशाला का उद्देश्य पंजीकरण समाप्त होने से पहले समय पर हस्तक्षेप करना है। उन्होंने प्रमोटरों से यह भी आग्रह किया कि वे अपनी परियोजनाओं को रेरा में निबंधन कराने के लिए आवेदन करने से पहले ठीक से होमवर्क कर लें, आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं ताकि इसका त्वरित निपटारा किया जा सके।

निबंधन की अवधि विशेष परिस्थितियों में ही बढ़ाई जाएगी।' इसके लिए प्रोमोटरों से अतिरिक्त अधिभार और आवंटियों से संबंधित अन्य विवरण भी लिया जाएगा। सदस्य नूपुर बनर्जी ने कहा कि प्रोजेक्ट के पंजीकरण के समय से ही प्रमोटरों को सक्रिय रहने की जरूरत है ताकि सभी काम निर्धारित समय पर पूरा हो सके। सदस्य एसडी झा ने कहा कि प्राधिकरण आवंटियों के हितों की सुरक्षा पर विशेष जोर देने के साथ रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और विकास दोनों के लिए कार्य कर रहा है। जुर्माना तभी लगाया जाता है, जब प्रमोटर अधिनियम के प्रावधानों और प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं।

प्रमोटरों को संबोधित करते रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह।

41 प्रोजेक्ट के प्रमोटर हुए शामिल

इस कार्यशाला में 41 ऐसी परियोजनाओं के प्रमोटरों को आमंत्रित किया गया था, जिनका निबंधन 30 सितंबर तक समाप्त होने वाला है। कार्यशाला में रेरा बिहार के सचिव राजेश थदानी, न्याय निर्णायक अधिकारी एके तिवारी और वरिष्ठ कानूनी सलाहकार वेद प्रकाश सहित रेरा के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया, जिसमें इन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों द्वारा प्रमोटरों की शंकाओं का समाधान किया गया।